

**कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 29-04-2021 के अनुसार सत्यापन प्रपत्र
(अनुलग्नक-1)**


1. पासपोर्ट आकार का नवीनतम हस्ताक्षरित चित्र चिपकाये (5 सेमी गुण 7 सेमी)



2.	<p align="center"><u>“वेतावनी”</u></p> <p>सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार के अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जायेगा। इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नजरबंद, गिरफ्तार, अभियोजित, तटीपार कृत अर्थात् दण्ड में दण्डित दोषकृत, विवरित या अपराध मुक्त आदि किया जाता है तो उन विवरणों को तत्काल उन प्राधिकारियों के पास तत्काल भेजा जाना चाहिए जिनके पास पूर्व में सत्यापन प्रपत्र भेजा गया था, इसमें विफल होने पर तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना माना जायेगा।</p>	
3.	<p>यदि, किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना या वृत्तिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसकी सेवाये समाप्त किये जाने योग्य होगी।</p>	
1. पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों)	उपनाम	नाम
BAKSHI ROHIT PRASAD	PRASAD	BAKSHI ROHIT
2.(क) पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण- ग्राम, बाना एवं जनपद या मकान संख्या, बीधी/गली/महक एवं कच्चा)	205-H/2A/5, ANANDPURAM, KASARI MASARI, CHAKIYA - 211016	DISTRICT - PRAYAGRAJ STATE - UTTAR PRADESH Police Station - DHOOMANGANJ
3.(क) घर का पूर्ण पता (उदाहरणार्थ गांव, बाना एवं जनपद, या मकान संख्या, बीधी/गली/महक एवं कच्चे तथा जनपद मुख्यालय का नाम) (ख) यदि मूल रूप से पाकिस्तान/बांग्लादेश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में पता और भारतीय संघ में प्रवास की तिथि	205-H/2A/5, ANANDPURAM, KASARI MASARI, CHAKIYA - 211016 DISTRICT - PRAYAGRAJ STATE - UTTAR PRADESH Police Station - DHOOMANGANJ	
4. विगत पांच वर्षों की अवधि में उन स्थानों का विवरण दिया जाय (जहां आप) एक वर्ष से अधिक तक रहे हों (निवास की अवधि के साथ) विदेश निवास (पाकिस्तान सहित) की स्थिति में उन समस्त स्थानों का विवरण, जहां आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। NA		
दिनांक	निवास का पता (उदाहरणार्थ मकान संख्या, गली/बीधी/महक, ग्राम, बाना, नगर जनपद)	जनपद मुख्यालय का नाम या पूर्ववर्ती स्तम्भ में बर्णित स्थान का वर्णन

NA		NA			NA	
5	नाम (पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो)	राष्ट्रीयता (जन्म से अधिवास में)	जन्म स्थान	व्यवसाय, यदि नियोजित है तो पदनाम एवं कार्यालय का पता	वर्तमान डाक का पता (यदि मृत हो तो अंतिम पता)	घर का स्थायी पता
क) पिता	BAKSHI RAMESHWAR PRASAD	INDIAN	PRAYAGRAJ	RETIRED	205-H/2A/5, ANANDPURAM, KASARI, MALARI, CHAKIYA-211016, PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH	SAME
ख) माता	CHANDRA KALA BAKSHI	INDIAN	PRAYAGRAJ	HOUSE WIFE		
ग) पत्नी/पति	SHWETA KHARE	INDIAN	PRAYAGRAJ	HOUSE WIFE		
घ) भ्राता/भगिनी/भ्राता/भगिनी	BAKSHI RAHUL PRASAD	INDIAN	PRAYAGRAJ	PRIVATE WORK		
घमिनी/घमिनी/घमिनी	SHIVA SRIVASTAVA	INDIAN	PRAYAGRAJ	HOUSE WIFE	314/450 Park, Katar, Durgam, Prayagraj-211002	SAME
5. (क)	पुत्र एवं/या पुत्री के संबंध में सूचना दी जाये यदि वे किसी विदेशी राष्ट्र में निवास या अध्ययन कर रहे हों : NO					
नाम	जन्म से या अधिवास में राष्ट्रीयता	जन्मस्थल देश	जिसमें निवास/अध्ययन कर रहे हैं का नाम, पूर्ण पता सहित	दिनांक, जिसमें पूर्ववर्ती स्तम्भ में उल्लिखित देश में निवास/अध्ययन कर रहे हैं		
NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6.	राष्ट्रीयता: INDIAN					
7.	(क)	जन्म तिथि: 25/06/1986				
	(ख)	वर्तमान आयु: 36 Years				
	(ग)	10वीं कक्षा में आयु क्या थी: 16 Years				
8.	(क)	जन्म स्थान, जनपद एवं राज्य जहाँ वह अवस्थित है: PRAYAGRAJ, PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH				
	(ख)	जनपद एवं राज्य जिससे आप संबंधित हैं: PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH				
	(ग)	जनपद एवं राज्य जिससे आपके पिता पूर्ण रूप से संबंधित थे: PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH				
9.	(क)	आपका धर्म: HINDU				
	(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं: (हां या नहीं में उत्तर दीजिए) NO				

10.	शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु में जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययन किया की वर्षवार एवं स्थानवार दर्शाते हुए.		
विद्यालयों/ महाविद्यालय का नाम (पूर्ण पते सहित)	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण की गयी परीक्षा
ANGLO BENGALI INTER COLLEGE, PRAYAGRAJ	2000	2002	HIGH SCHOOL
ANGLO BENGALI INTER COLLEGE, PRAYAGRAJ	2002	2004	INTERMEDIATE
UNITED COLLEGE OF ENGG. & RESEARCH, NAENDI PRAYAGRAJ	2004	2008	B.TECH.
SIET - ALLAHABAD	2011	2013	M.TECH.
SIET - ALLAHABAD	2014	2021	PH.D
11.	(क)	क्या आपने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अर्द्ध सरकार या मानद सरकारी निकाय या किसी स्वायत्त निकाय या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी फर्म या संस्थान में किसी समय कोई पदधारित किया है या करते हैं? यदि हां तो नियुक्ति की तिथि का पूर्ण विवरण दें.	
अवधि	पदनाम, परिस्थितियाँ एवं नियोजन की प्रकृति	नियोक्ता का पूर्ण नाम एवं पता	पूर्व सेवा छोड़ने कारण
JULY 2009 TO MAY 2011	Asst. Professor, Private, Regular	United College of Engrg & Management, Prayagraj	Personal
JULY 2011 TO DEC 2013	Asst. Professor, Private, Regular	Shambhurnath Institute of Engrg & Technology, Prayagraj	Personal
JAN 2019 TO OCT 2022	Asst. Professor, Private, Regular	SIET, Prayagraj	Personal
तिथि से:		तिथि से:	
	July 2009 July 2013 January 2019		May 2011 December 2013 October 2022
(ख)	यदि पूर्व का नियोजन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का उपक्रम/स्वायत्तभागी निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के अधीन था। क्या आपने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अस्थायी सेवा)नियमावली, 1965 के नियम-5 या तत्समान नियमावली के अधीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी. क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी या क्या आपको सेवा समाप्ति की सूचना दिये जाने या आपकी सेवा वास्तविक रूप से समाप्त हो जाने के समय पर या बाद की तिथियों में किसी प्रकार में आपको अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था ?		
12	(क)	क्या आप कभी गिरफ्तार हुये हैं	हाँ/नहीं
(एक)	(ख)	क्या आप कभी अभियोजित हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ग)	क्या आप कभी नजरबंद हुये हैं	हाँ/नहीं
	(घ)	क्या आप कभी तद्दीपार हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ङ)	क्या आपको कभी न्यायालय ने अर्धदण्ड दिया है	हाँ/नहीं
	(च)	क्या आपको किसी कार्य के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं	हाँ/नहीं
	(छ)	क्या आपको कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनी किसी	हाँ/नहीं

		परीक्षा/चयन के लिए निर्वाचित/अयोग्य घोषित किया गया है।	
(अ)		सत्यापन प्रपत्र भरने के समय आपके विरुद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित तो नहीं है।	हाँ/नहीं ✓
(ब)		इस सत्यापन प्रपत्र को भरने के समय आपके विरुद्ध किसी विश्वविद्यालय वा किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण/संस्था में कोई वाद लंबित तो नहीं है।	हाँ/नहीं ✓
(क)		क्या सरकार वा अन्यथा के अधीन किसी प्रशिक्षण/संस्थान में आपकी कार्यभार/निष्कासन वापसी तो नहीं हुई है।	हाँ/नहीं ✓
(दो)		इस सत्यापन प्रपत्र को भरते समय यदि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर "हां" है तो वाद/ गिरफ्तारी/ नजरबंदी/ जर्जरपद/ संपत्ति/ देशादेश/ उषा आदि और/ वा न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकरण आदि में लंबित वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दे: Details are attached as ANNEXURE No-1 and 2 along with a Affidavit	
टिप्पणी	(एक)	कृपया इस सत्यापन प्रपत्र के शीर्ष पर अंकित "चेतावनी" भी देखें।	
	(दो)	यथा प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रश्न के विशिष्ट उत्तर "हां" वा "नहीं" के रूप दिये जा सकते हैं।	
13.	आपके क्षेत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों वा अनुमोदकों के नाम जिनसे आप परिचित हैं।	1) Dr. SONALI AGARWAL 2) Prof. VRIKENDRA SINGH	
<p>मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्वलिखित सूचना सत्य एवं पूर्ण है। सरकार के अधीन नियोजन के लिये मुझे अनअर्ह करने वाली किसी परिस्थितियों की मुझे जानकारी नहीं है।</p> <p>अभ्यर्थी का हस्ताक्षर: </p> <p>दिनांक: 19/10/2022</p> <p>स्थान: PRAYAGRAJ</p>			
<p>अभिज्ञान प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्र निर्माकित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)</p>			
(एक)	केन्द्र वा राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी		
(दो)	निर्वाचन क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी वा उसके परिजन/अभिभावक सामान्य रूप में निवास करते हों के सामद वा राज्य विधान मण्डल के सदस्य		
(तीन)	उप जिला मजिस्ट्रेट/अधिकारी		
(चार)	मजिस्ट्रेरियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार वा नायब/उप तहसीलदार		
(पांच)	अभ्यर्थी ने जित्त मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्राचार्य/प्रधानाचार्य		
(छह)	खण्ड विकास अधिकारी		
(सात)	ठाकपाल		
(आठ)	पंचायत निरीक्षक		
<p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी <u>सुनीता शेट्टी प्रसाद</u> पंच/पुकी श्री... <u>सुनीता शेट्टी प्रसाद</u> को मैं बिगत <u>19.10</u> मास से जानता हूँ एवं मेरी सर्वोत्तम</p>			

जानकारी और विश्वास के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है।

दिनांक: 21.10.2022

हस्ताक्षर:

स्थान: प्रजापति

पदनाम या प्राप्ति

एवं पता:

दिनांक: 21.10.2022
अनुमति: जारी
लोक: राज. प्रयोग
उत्तर, इलाहाबाद

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा।

एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता: श्री राज्यपाल
उत्तर प्रदेश।

दो) पद जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी का चयन किया गया है: व्याख्याता(इलेक्ट्रानिक्स, विद्युत, सिविल,कम्प्यूटर,
अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स(भौतिकी), रसायन,
यौतिक अभियंत्रण /कर्मशाला अधीक्षक आदि (शैक्षणिक
शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर)।



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ACC Name: Beers Dev Jaiswal
ACC Code: 14502004
Mob: 945620046201
Tehsil & District: Sadar, Prayagraj

Certificate No.	IN-UP31704142119370U
Certificate Issued Date	22-Oct-2022 04:22 PM
Account Reference	NEWIMPACC (SV)/ up14502004/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	SUBIN-UPUP1450200466201742104248U
Purchased by	BAKSHI ROHIT PRASAD
Description of Document	Article 4 Affidavit
Property Description	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	
First Party	BAKSHI ROHIT PRASAD
Second Party	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	BAKSHI ROHIT PRASAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	100 (One Hundred only)



Please write or type below this line:



Part of Affidavit / Declaration



To,

JOINT SECRETARY, TECHNICAL EDUCATION
SECTION-2, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH,
LUCKNOW, PIN CODE - 226001

Subject- With regard to the criminal case pending against the
applicant i.e. matrimonial in nature (case crime no. 371 of 2018)
under Section 498 A, 323, 504, 506, 406 Indian Penal Code and 3/4
DP Act.

This is too bring to your notice that the aforesaid case crime no. in
which the applicant is named is the case arising out between his
brother and his wife.

That in pursuance of the aforesaid case crime no. compromise has
been taken place and application under Section 13 B of the Hindu
Marriage Act, 1955 has been filed before Principal Judge Family
Court, Allahabad which has been registered as Case No. 1630 of
2022 copy of the application under Section 13 B of the Hindu
Marriage Act, 1955 dated 20.08.2022 is being filed herewith and
marked as **Annexure No. 1** to this application.

That it would not be out of place to mention here that in the aforesaid
case crime no. 371 of 2018 under Section 498 A, 323, 504, 506, 406
Indian Penal Code and 3/4 DP Act. The applicant has been released



on bail on the same day by order dated 30.05.2022 by the learned court below. Copy of the bail order dated 30.05.2022 passed by learned court below dated 30.05.2022 is being filed herewith and marked as **Annexure No. 2** to this application.

That therefore it is kindly be pleased that the applicant has given all the relevant details about the criminal case in which he has been falsely implicated and the present affidavit has been filed along with the form for necessary action.



02/10/2022
Identified by *G. S. Pathak*
be identified by the Notary which
on verified documents
22/10/22
G.S. Pathak
Public Notary
Add., Prayagraj (U.P.)

Bakshi Rohit Prasad,
Aged about 36 years son of
Bakshi Rameshwar Prasad
Resident of 205-H/2A/5, Anand
Puram Kasari Masari, Chakiya
GTB Nagar, Allahabad.

Sign / Identified By
G. S. Pathak
Ghanashyam Pathak
Public Notary Govt. of India
Police Guard Room
Civil Pansari
District Court, Allahabad
(M) 9336374587

SUKENDRA KUMAR

6380793180

14
20/11/22

प्रकाश चारोवलेर व्यामस्य कार्यालय
पता नं - 1630/22

वास्तो. राहुल प्रकाश प/स कार्यालय

पता - 13 B/H/वास्तो

वास्तो वास्तो (Ring)



20/11/22

न्यायालय प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश इलाहाबाद

वैवाहिक वाद संख्या

1630.

सन् 2022

बक्षी राहुल प्रसाद

बनाम



मेहा श्रीवास्तव

अनुगत धारा-13 बी0 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955



1630/20/2022

घाटी-2

मेहा श्रीवास्तव

दिनांक:-

20-08-2022

घाटी-1
Bakshi Rahul Prasad

बक्षी राहुल प्रसाद



न्यायालय प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश इलाहाबाद

वैवाहिक वाद संख्या

1630.

सन् 2022

[Handwritten signature]

बवशी राहुल प्रसाद उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र श्री बवशी रामेश्वर प्रसाद निवासी-205 एच0/2ए0/5 कसारी-मसारी धकिया जीटीबी नगर जनपद इलाहाबाद।

घापी संख्या-1

बनाम

मैसा श्रीवहासब उम्र 37 वर्ष पत्नी बवशी राहुल प्रसाद पुत्री स्व० लख्य प्रकाश श्रीवास्तव निवासी-205 एच0/2ए0/5 कसारी-मसारी धकिया जीटीबी नगर जनपद इलाहाबाद।

घापी संख्या-2



[Handwritten signature]



अर्न्तगत धारा-13 बी0 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

[Handwritten signature]

महोदय

उम्रव्यपसकारण निम्नलिखित नियंत्रण करते हैं -

- 1- यह कि उम्रव्यपसकारण जन्म से भारत की मूल निवासी है।
- 2- यह कि उम्रव्यपसकारण हिन्दू विवाह अधिनियम-1955 की धारा-2 के अधीन हिन्दू है।
- 3- यह कि उम्रव्यपसकारण का विवाह दिनांक 02-12-2016 को हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार जनपद इलाहाबाद से सम्पन्न हुआ था।
- 4- यह कि उम्रव्यपसकारण के मध्य वैवाहिक मतभेद इतने गहरे हो गये कि भविष्य में उम्रव्यपसकारण का एक साथ बीर पति-पत्नी रह पाना कतई सम्भव नहीं रह गया है और ना ही भविष्य में वैवाहिक सम्बन्ध सुधरने की कोई सम्भावना ही रह गयी है। महज इसी कारणवश आपसी सहमति पर आपार पर प्रस्तुत संयुक्त वापिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा रहा है। ताकि उम्रव्यपसकारण विधि के अनुरूप न्याय पा सकें।
- 5- यह कि उम्रव्यपसकारण के मध्य मिलाए चार वर्षों से दिनांक 24-07-2018 से अनवरत वैवाहिक मतभेद के कारण कोई वैवाहिक सम्बन्ध नहीं रह गया है। और ना ही आपस में शारीरिक सम्बन्ध ही स्थापित हुआ है, और उम्रव्यपसकारण पृथक-पृथक रहते हुए निवास कर रहे हैं।
- 6- यह कि उम्रव्यपसकारण काफी लोभ-समझ कर बीर किसी ब्याज या डर के स्वल्प एवं स्थिर बुद्धि से बिना किसी बाल्य या स्वार्थ के आपसी सहमति से विवाह सम्बन्ध विच्छेद हेतु यह संयुक्त वापिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

7- यह कि उभयपक्षकारण के मध्य भरण पोषण, स्थाई भरण पोषण भत्ता, स्त्रीधन इत्यादि के सन्दर्भ में बाची संख्या-1 बबशी राहुल प्रसाद द्वारा मु० 8'50'000/-रु० आठ लाख पचास हजार रुपये (अनुमूल अंदा) करने को तैयार व तत्पर है। जिसमें से बाची सं०-1 द्वारा मु० 200000/-रु० दो लाख रुपये बाची संख्या-2 नेहा श्रीवास्तव के हक में जति बैंक ड्राफ्ट संख्या-कमरा 464275 एवं 464290 को माननीय प्रधान पारिवारिक न्यायालय के खर्च में जमा कर रहा है शेष बकाया 6'50'000/-रु० छः लाख पचास हजार रुपये बाची संख्या-2 नेहा श्रीवास्तव हेतु माननीय पारिवारिक न्यायालय के समक्ष साक्ष्य की अवसर पर प्रदान करने को तैयार व तत्पर है। साथ ही विवाह के अवसर पर प्राप्त जेवरालो जो सूचीबद्ध को भी प्रदान करने हेतु तैयार व तत्पर है। इसके अतिरिक्त कोई शेष बकाया नहीं रह जाएगा। और बाची संख्या-2 नेहा श्रीवास्तव द्वारा आपत्ती सहमति के आधार पर वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद हेतु प्रस्तुत संयुक्त याचिका अर्न्तगत धारा-13बी हिन्दू विवाह अधिनियम के निस्तारण पर ही समस्त धनराशि प्राप्त करने को तैयार है। जिसमें उभयपक्षों की पूर्ण सहमति है।

8- यह कि प्रस्तुत संयुक्त याचिका के आधार पर बाची संख्या-2 द्वारा अपर सिविल जज संख्या-21 जनपद इलाहाबाद के समक्ष योजित अपराध संख्या 371 सन् 2018 अर्न्तगत धारा-498ए, 323 504 506 406 आईपीसी व 3/4 डी०पी० एक्ट को को बाची संख्या-2 नेहा श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत संयुक्त याचिका के आधार पर अपना साक्ष्य व शपथपत्र तात्काल प्रभाव से निस्तारित कराने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी तदुपरान्त प्रस्तुत संयुक्त याचिका के आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त करेगी। इस प्रकार बाची संख्या-1 बबशी राहुल प्रसाद द्वारा समस्त भद्रों के बाका कुल रूपया मुबलिंग 8,50,000/-रु० -आठ लाख पचास हजार रुपये बाची संख्या-2 नेहा श्रीवास्तव को माननीय न्यायालय के समक्ष अदा करेगा। जिसमें उभयपक्षों की पूर्ण सहमति है और इसी क्रम में बाची संख्या-2 द्वारा माननीय प्रधान पारिवारिक न्यायालय इलाहाबाद द्वारा योजित एक अन्य वैवाहिक वाद संख्या-1767 सन् 2018 अर्न्तगत धारा-13 25 27 हिन्दू विवाह अधिनियम जिसमें दिनांक 23-08-2022 निघत है उक्त वाद को भी प्रस्तुत संयुक्त याचिका के आधार पर विट्टा वापस कराने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेगी।

4- यह कि उभयपक्षकार या उनके पारिवारिक सदस्यों को इस संयुक्त याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात किसी प्रकार का लेन-देन करने का अधिकार नहीं होगा यदि कभी भी इससे सम्बन्धित कोई प्रकरण किसी स्थान या न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा तो वह कानूनन उभयपक्षकार के आपत्ती सहमति से हुए विच्छेद के अर्न्तगत अमान्य एवं शून्य करार दिया जावेगा।

10- यह कि उभयपक्ष आपत्ती सहमति से हुए विवाह सम्बन्ध विच्छेद के पश्चात अपना-अपना पुनर्विवाह करने हेतु स्वतन्त्र होंगे तथा पुनर्विवाह में एक दूसरे पक्ष को किसी भी की आपत्ति व हक हासिल नहीं होगा। इस प्रकार उभयपक्षकार के मध्य किसी प्रकार की कोई शर्त भविष्य में प्रस्तुत वाद के निस्तारण के बाद लागू नहीं होगी।

11- यह कि वाद का कारण तब उत्पन्न हुआ जब उभयपक्षों के वैवाहिक मतभेद के कारण विगत 25-12- 2016 से अलग-अलग निवास किये जाते रहने से रहा है। जो वर्तमान में भी विद्यमान है।

12- यह कि उभयपक्षकारों के मध्य कोई दुरभि सन्धि नहीं है।

13- यह कि वाद का मूल्यांकन मुबलिंग 11500/रु० किया जा रहा है। जिस पर निर्धारित न्यायालयिक अंदा किया जा रहा है।

Signature of the Plaintiff

Signature of the Defendant



Handwritten signature of the defendant.

अनुतोष

उभयपक्षकार निम्नलिखित अनुतोष की याचना करते हैं :-

अ- वह कि माननीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षकार की आपसी सहमति से मोंगी गये अनुतोष वास्तुं विवाह सम्बन्ध विच्छेद को स्वीकार करते हुए उभयपक्ष के मध्य हुए विवाह दिनांकित 02-12-2016 को वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद की डिक्ली घोषित किये जाने की कृपा की जावे।

दिनांक - 20-08-2022

याची-1

याची-2

नेहा श्रीवास्तव

[Handwritten signature]

Bakshi Rahul Prasad
बक्शी राहुल प्रसाद

तस्दीक

हम उभयपक्षकार बहलफ तस्दीक करते है कि संयुक्त वादपत्र की धारा-1 लगायत 12 के समस्त तथ्य हम लोगों की निजी व प्राप्त जानकारी मे सही व सच हैं इसमे न तो कोई झूठ है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है। हमने अपने हस्ताक्षर आज दिनांक 20-08-2022 को पारिवारिक न्यायालय परिसर मे बनाये हैं।

याची-2

नेहा श्रीवास्तव

दिनांक -

20-08-2022

[Handwritten signature]

याची-1
Bakshi Rahul Prasad
बक्शी राहुल प्रसाद



[Handwritten note in blue ink: 'Mandana Singh Bakshi' and other illegible text]

सत्य-प्रतिनिधि
[Signature]
20/10/22
प्रधान न्यायाधीश न्यायालय
इलाहाबाद

SURENDRA KUMAR

6388793180

(2)

97

25/05/22

सुरेन्द्र कुमार (30) मजदूर/

दिनांक - 25/5/2022

पता - सुरेन्द्र कुमार

दिनांक - 25/5/2022

पता - सुरेन्द्र कुमार

दिनांक - 30/05/2022

(1)

11



201022
20 OCT 2022
201022
20 OCT 2022
201022
20 OCT 2022



201022
20 OCT 2022

न्यायालय सिविल जज (क0श्रे0), एफ0टी0सी0 कक्ष सं0-21
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध से सम्बन्धित न्यायालय), इलाहाबाद।

दिनांक 30.05.2022

आदेश

अभियुक्त राहुल बक्शी की ओर से जमानत हेतु प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है।

अभियुक्त मुकदमा सं0-298/2018 व अपराध संख्या- 371/2018
धारा-498ए, 323, 504, 506, 406 भा0द0सं0 व धारा- 3/4 डी0पी0 एक्ट,
धाना- महिला धाना, प्रयागराज में न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पीडिता का पति है एवं मामला वैवाहिक मतभेदों से सम्बन्धित है। प्रस्तुत मामले के पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता का प्रयास किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः अभियुक्त को मु0-बीस-बीस हजार रुपये की पी0पी0 व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को दिनांक 13/06/2022 तक के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त अग्रिम नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 10/6/2022 को जनपद न्यायालय में स्थित मिडियेशन सेन्टर में सहम प्राधिकारी के समक्ष सुलह समझौता हेतु उपस्थित हो। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण मिडियेशन सेन्टर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र मिडियेशन रिपोर्ट के साथ वास्तु निस्तारण दिनांक-13.06.2022 को भेरा ही।


(अभिषेक कुमार)

सिविल जज (क0श्रे0)/एफ0टी0सी0,
कक्ष सं0-21, (महिलाओं के विरुद्ध अपराध से सम्बन्धित
न्यायालय) इलाहाबाद।



राहुल बक्शी
कानून व्यवसायी
सिविल प्रोसेक्यूटिव ऑफिस
न्यायालय, इलाहाबाद

किलात
10/6

2/1